07.07.2023 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। भूमि खसरा नं. 13, 18 कुल किता 2 कुल रकबा 2.14 है0 राजस्व ग्राम जीलो तहसील नीमकाथाना में स्थित है। अपीलान्ट ने बताया कि उक्त भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के संयुक्त खाते में दर्ज थी। भूमि का आपस में विभाजंन कराने हेतु रेस्पोडेन्ट सं. 02 के समक्ष कार्यवाही शुरू की जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा दिनांक 18.12.2010 आदेश पारित किया जाता है। जो आदेश विधि के मान्‍ सिद्धान्तों व पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड के विपरीत कर दिया गय जो अपास्त किया जावे। मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाज हेतु सहमति दी थी। परन्तु आदेश मौका की स्थिति के विपरीत व दिया जो अपास्त किया जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को तलब किया गया जो जरिए वकील उपस्थि हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जरिए वकील उपस्थित होकर अ अपीलान्ट स्वीकार किए जांने एवं तहसीलदार नीमकाथाना का नि दिनांक 18.12.2010 विभाजन प्रस्ताव संख्या 143 अपास्त किए पर अपनी सहमति जताई।

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:06:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
	वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 बाबत मियाद अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

वकील अपीलान्ट कि मूल अपील की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड से यह बात तो स्पष्ट है कि उक्त भूमि का बटवारा दिनांक 18.12.2010 को प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2010 में हुआ था। जो आपसी सहमति से हुआ था। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 दोनों का एक ही कथन कि विभाजन मौका स्थिति के विपरीत हुआ है इसलिए न्यायहित में विभाजन प्रस्ताव संख्या 143 आदेश दिनांक 18.12.2010 अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट न्यायहित में स्वीकार कि जाती है एवं विभाजन प्रस्ताव संख्या 143 तहसीलदार नीमकाथाना का आदेश दिनांक 18.12.2010 अपास्त किया जाता है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर
नीमकाथाना, सीकर

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:06:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner